बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 1157 अ0 /पटना, दिनांक :– 29/4/2024

श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक 22.08.2022 को रू0 40,000/– (चालीस हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने संबंधी मामले में निगरानी थाना कांड सं0 042/2022 दिनांक 22.08.2022, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किये जाने तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने के फलस्वरूप अधिसूचना सं0 647–सह पठित ज्ञापांक 648 दिनांक 28.03.2023 द्वारा श्री सहनी को कारावास में जाने की तिथि 22.08.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. कारा से रिहा होने के पश्चात श्री सहनी द्वारा दिनांक 05.04.2023 के पूर्वाह्न में अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित किया गया। तद्‌आलोक में श्री कुमार का योगदान स्वीकृत कर अधिसूचना सं0 855 सह–पठित ज्ञापांक 856 दिनांक 27.04.2023 द्वारा योगदान की तिथि से उन्हें पुनः निलंबित किया गया।

3. विषयगत मामले में निगरानी विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजातों/साक्ष्यों के आधार पर श्री सीताराम सहनी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2427 दिनांक 13.11.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

4. श्री सहनी के पत्र दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाया गया। सम्यक विचारोपरान्त मामले की गहन/विस्तृत जॉच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सहनी के विरूद्ध मुख्य जॉच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 13934 दिनांक 25.11.2021 में निहित दिशा–निदेश के तहत मुख्य सचिव, बिहार द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने पर सहमति प्रदान की गई है।

5. अतः श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा डॉ0 फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सीताराम सहनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/04/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 1157 अ0/पटना, दिनांक :– 29/4/2024

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 1157 अ0/पटना, दिनांक :– 29/4/2024

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ संयुक्त सचिव–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 1157 अ0/पटना, दिनांक :– 29/4/2024

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव